डीजी–परिपत्र संख्या– 18/2020

**एच0सी0अवस्थी**
आई0पी0एस0

**पुलिस महानिदेशक,**
**उत्तर प्रदेश**
पुलिस मुख्यालय,उ0प्र0, लखनऊ
दिनांक : लखनऊ:मई 24,2020

**विषयः अपराध कार्यप्रणाली ब्यूरो (Modus Operandi Bureau) का गठन एवं मानक संचालन प्रकिया (SOP)/कियान्वयन के सम्बन्ध में।**

आप सभी को अवगत कराना है कि प्रदेश में अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से इनके द्वारा अपराध करने के तरीकों (Modus Operandi) के विश्लेषण हेतु कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली प्रचलित नहीं है।

प्रदेश में घटित होने वाले गम्भीर व सनसनीखेज अपराधों को कारित करने के तरीकों का प्रभावी रूप से विश्लेषण करते हुये भविष्य में होने वाले अपराधों की रोकथाम तथा उनके सफल अनावरण में सहयोग प्रदान करने के लिये मुख्यालय स्तर पर अपराध कार्यप्रणाली ब्यूरो (Modus Operandi Bureau) की स्थापना की जाती है जो निम्नानुसार कार्य करेगी।

> **<u>अपराध कार्यप्रणाली ब्यूरो (Modus Operandi Bureau) के कार्य एवं उत्तरदायित्वः–</u>**

- इस ब्यूरों मे विशेष रूप से गम्भीर व सनसनीखेज हत्या एवं भाड़े पर हत्या, डकैती(वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/बैंकों के अतिरिक्त), दो पहिया वाहन से लूट, बैंक व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में डकैती/लूट, ए0टी0एम0 मशीन को छति पहुँचाकर चोरी, गृह भेदन, घरों में चोरी, गोवध व गो–तस्करी, भूर्ति चोरी, माफिया गिरोह, मानव तस्करी, मादक पदार्थो की तस्करी, अवैध शस्त्रों की तस्करी, टप्पेबाजी, जाली मुद्रा के प्रचलन ,चोरी लूट का माल खरीदने वाले ,वाहन चोरी, जालसाजी व गबन, फिरौती हेतु अपहरण, जहरखुरानी, रेलवे के अपराध कारित करने वाले अपराधियों का सम्पूर्ण विवरण, उनके कार्यप्रणाली के आधार पर वर्गीकृत करते हुये उनका अभिलेखीकरण किया जायेगा।
- विभिन्न अपराध शीर्षकों के अर्न्तगत अपराधियों का विवरण डोजियर के रूप में संकलित किया जायेगा एवं इसे नियमित रूप से अद्यावधिक भी किया जायेगा। (डोजियर का प्रारूप संलग्न है)
- जिन अपराधियों के विरूद्ध दो या अधिक अभियोगो में न्यायालय द्वारा विचारण के उपरान्त दोष सिद्ध हो गया हो उसे अभ्यस्त अपराधी की श्रेणी में रखा जायेगा ।
- अर्न्तजनपदीय अपराधियों की हिस्ट्रीशीट की एक प्रति संबंधित अपराध शीर्षक में संकलित की जायेगी
- अर्न्तप्रान्तीय(जो अन्य प्रान्त के हों) अपराधियों की हिस्ट्रीशीट संबंधित प्रान्त से प्राप्त कर ब्यूरो में अभिलेखार्थ रखा जायेगा ।
- उपरोक्त समस्त सूचनाएं कम्प्यूटर पर साफ्ट कापी के रूप में संकलित व संरक्षित की जायेगी।
- उपरोक्त अपराध शीर्षकों से संबंधित सूचनाएं दिनॉक 01.01.2010 से संकलित करते हुये समस्त जनपदों/इकाईयों में कार्यरत डी0सी0आर0बी0 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को उपलब्ध करायेंगे।
- सम्बन्धित अपराध शीर्षकों के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त डीसीआरबी प्रभारी द्वारा उक्त आरोप पत्र का विवरण ब्यूरो को उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रत्येक जनपद के डीसीआरबी प्रभारी अपने जनपद में इन अपराध शीर्षकों के अन्तर्गत घटित अपराधों की अपराध शैली सहित पूर्ण विवरण कम्प्यूटर पर साफ्ट कापी के रूप में संकलित

करेंगे तथा माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में पाक्षिक अपराध आख्या के साथ उक्त विवरण भी पुलिस अधीक्षक,राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को उपलब्ध करायेंगे, उपलब्ध कराये गये अभिलेख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित होंगे ।

- अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत अपराधों के अनावरण पर अभियुक्तों से पूछताँछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी। यह पूछताँछ राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जायेगी। हस्ताक्षरित पूछताँछ आख्या(Interrogation Report) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी तथा इसका रख-रखाव डीसीआरबी द्वारा किया जायेगा।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यालय स्थित Modus Operandi Bureau को प्रेषित की जाने वाली सूचनायें स्पष्ट, सारगर्भित एवं त्रुटिरहित हों।
- प्रभारी डीसीआरबी यह सुनिश्चित करेंगें कि ब्यूरो को प्रेषित की जाने वाले सूचनायें केवल ई-मेल के माध्यम से unicode mangal font size-12, MS Word में प्रेषित की जायें।

## ➤ <u>अपराध कार्यप्रणाली ब्यूरो (Modus Operandi Bureau) का नियतन, अर्हतायें एवं पर्यवेक्षणः-</u>

- यह ब्यूरो पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो,उ0प्र0 के नियन्त्रण में कार्य करेगा जिसके कार्यो का पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक,तकनीकी सेवायें,उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
- इस ब्यूरो के कार्यो के कुशल संचालन हेतु एक पुलिस उपाधीक्षक, एक निरीक्षक, 02 उपनिरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी एवं चार कम्प्यूटर भिज्ञ आरक्षी नियुक्त होंगे।
- ब्यूरो में किसी अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त करते समय यह देख लिया जाये कि सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष से कम न हो ताकि यह सभी अधिकारी/कर्मचारी ब्यूरो के कार्य अनुभव एवं कुशलता से कर सकें।
- ब्यूरो में अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित आर्वतन (Rotationwise) अनुसार की जायेगी जिसमें निरीक्षक/उपनिरीक्षक के लिए अवधि कम से कम 02 वर्ष तथा मुख्य आरक्षी/आरक्षी की नियुक्ति अवधि कम से कम 03 वर्ष की होगी एवं नियुक्त किये गये सभी कर्मचारियों को कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान हो।
- जनपद स्तर पर इस ब्यूरो में प्रेषित किये जा रहे उपरोक्तांकित अपराध शीर्षकों की आख्या जनपद स्तर पर क्रियाशील डीसीआरबी के प्रभारी एवं उनके सहवर्ती कर्मियों द्वारा अभिलेखीकरण करते हुए पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0 को माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह में पाक्षिक अपराध आख्या के साथ उक्त विवरण भी प्रेषित किया जायेगा तथा पूर्व में प्रेषित किये गये आख्या की नियमित रूप से अद्यावधिक आख्या के प्रेषण का कार्य करेंगें।
- उपरोक्त सम्बन्ध में जनपदों से प्राप्त आख्या की एक सारगर्भित एवं संक्षिप्त आख्या तैयार कराकर पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो प्रत्येक 03 माह में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध को नियमित रूप से प्रेषित करते रहेंगें।
- इस ब्यूरो में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटियाँ महत्वपूर्ण अवसरों, गम्भीर कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आपदा जैसे अपवाद स्वरूप ड्यूटी को छोड़कर सामान्तया न लगायी जाये, ताकि इन अधिकारी/कर्मचारियों को अपने कार्य निष्पादन हेतु पर्याप्त समय मिल सके।
- जनपद स्तर पर स्थापित डीसीआरबी में इस ब्यूरो से सम्बन्धित किये जा रहे कार्यो का पर्यवेक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की अंतिम शुक्रवार (अर्दली रूम) में किया जायेगा ताकि किये जा रहे कार्यो की निरन्तरता व गुणवत्ता बनी रहे।

मैं यह अपेक्षा करता हूँ कि स्थापित किये जा रहे ब्यूरो को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में एक कार्यशाला का आयोजन कर उपरोक्तांकित बिन्दुओं/निर्देशों से जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुये समय से इसका कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की त्रुटि/शिथिलता न हो।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर/गौतमबुद्धनगर,
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपिः –**

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अपराध कार्यप्रणाली ब्यूरो (Modus Operandi Bureau) के गठन के संबंध में पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरों को यथा–अपेक्षित कार्यवाही के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार अपराध कार्यप्रणाली ब्यूरो (Modus Operandi Bureau) के गठन के संबंध में कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही संबंधी आख्या अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।